

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 560]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 20 अक्टूबर 2010—आश्विन 28, शक 1932

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 20 अक्टूबर 2010

क्र. (20)-एफ क्र. बी-4-08-2010-2-पांच.—भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का सं. 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक (33) बी-4-23-95-वा. कर (पांच), दिनांक 21 दिसम्बर 1995 को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश गृह निर्माण मण्डल, नगर विकास प्राधिकरणों, मध्यप्रदेश आवास संघ लिमिटेड अथवा मध्यप्रदेश में स्थित किसी नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के किसी व्यक्ति के पक्ष में निष्पादित विक्रय/पट्टे की लिखतों पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क से इन शर्तों के अधधीन रहते हुए छूट प्रदान करती है कि:—

- (1) निर्मित आवास की दशा में क्षेत्रफल 35 वर्गमीटर से अधिक न हो तथा केवल भू-खण्ड की दशा में क्षेत्रफल 40 वर्गमीटर से अधिक न हो;
- (2) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का व्यक्ति मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) में यथा परिभाषित होगा और उसे जिला कलक्टर से, इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा.

स्टाम्प शुल्क से उस मामले में भी छूट प्रदान की जाएगी जहां आवासीय भवनों के पट्टे की लिखत शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सुविधा (बी.एस.यू.पी.)/ एकीकृत आवास और विकास कार्यक्रम (आई.एच.एस.डी.पी.) के अन्तर्गत किसी ऐसे व्यक्ति के पक्ष में निष्पादित की जाती है, जो मध्यप्रदेश नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना) अधिनियम, 1984 (क्रमांक 15 सन् 1984) के अधीन उक्त एजेन्सियों द्वारा निर्माणाधीन स्थलों पर सरकार से पूर्व से ही धारित पट्टे का अभ्यर्पण कर देता हो.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

ए. पी. श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 20 अक्टूबर 2010

क्र. बी-4-08-2010-2-पांच (20).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक बी-4-08-2010-2-पांच (20), दिनांक 20 अक्टूबर 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रसारित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

ए. पी. श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव.

Bhopal, the 20th October 2010

No. (20) F-B-4-08-2010-2-V.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. II of 1899) and in supersession of this Department's Notification No. (33) B-4-23-95-CTD-(V), dated 21st December 1995, the State Government, hereby, remits the stamp duty chargeable on instruments of sale/lease executed by the Madhya Pradesh Housing Board, Nagar Vikas Pardhikarans, Madhya Pradesh Housing Federation Ltd. or any urban local body in Madhya Pradesh in favour of a person of economically weaker section subject to the conditions that:—

- (1) the area in case of constructed house does not exceed 35 sq.m. and the area in case of plot only does not exceed 40 sq.m.,
- (2) the person belongs to the economically weaker section shall be as defined in the Madhya Pradesh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956) and he will have to produce a certificate from the District Collector to this effect.

The remission of stamp duty shall also be available where the instruments of lease of residential house is executed under the Basic Service For Urban Poor (B.S.U.P.)/ Integrated Housing and Development Programme (I.H.S.D.P.) in favour of a person, who surrenders the lease already held by him under the Madhya Pradesh Nagariya Kshetro Ke Bhoomin Vyakti (Pattadhriti Adhikaron Ka Pradan Kiya Jana) Adhinyam, 1984 (No. 15 of 1984) from the Government on the sites under construction by the said agencies.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,

A. P. SHRIVASTAVA, Principal Secy.